राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 342/2014/उदयपुर.

मैसर्स गुरूकृपा मार्बल, उदयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–प्रथम, वृत्त–ए, उदयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री राकेश मेहता, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 13/10/2016

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 174/सीएसटी/2012–13/उदयपुर में पारित किये गये आदेश दिनांक 23.12.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत्त–ए, उदयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के राजस्थान विक्रय कर अधिनियम 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 29 सपठित धारा 9 सपठित धारा 24 राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 के तहत वर्ष 2002–03 के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 05.11.2012 में आरोपित कर रूपये 90,013/– एवं ब्याज रूपये 1,03,675/– कुल मांग रूपये 1,93,688/– के विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है। अपीलार्थी ने अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कर निर्धारण वर्ष 2002–03 के लिये अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 19.10.2010 के द्वारा प्रकरण को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया था। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रतिप्रेषण आदेश की पालना में बिना सुनवाई किये आदेश पारित किया है। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण को पुनः प्रतिप्रेषित किया है।

लगातार.....2

3. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थी व्यवसायी का मूल कर निर्धारण दिनांक 30.07.2005 को पारित किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपील किये जाने पर उपायुक्त (अपील्स) द्वारा दिनांक 27.12.2005 को प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया, प्रतिप्रेषित आदेश के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 05.07.2007 को धारा 29(8)(बी) सपठित धारा 9 केन्द्रीय बिक्री की अधिनियम के तहत आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी व्यवसायी द्वारा अपील प्रस्तत की गई। अपील आदेश दिनांक 09.10.2010 को उपायुक्त (अपील्स) ने पुनः वाद को प्रतिप्रेषित किया तद्पश्चात् प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में पुनः कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 05.01.2012 को आदेश पारित किया। पुनः उपायुक्त (अपील्स) ने अपने आदेश दिनांक 23.12.2013 को वाद को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया।

4. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक ने राजस्थान कर बोर्ड अजमेर की माननीय खण्डपीठ के **अपील संख्या 1185 से 1198/2004/श्रीगंगानगर पवन कुमार अग्रवाल बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त—ए, श्रीगंगानगर न्यायिक दृष्टान्त 22 टैक्स अपडेट पेज 298** का हवाला दिया गया, जिसमें निम्न व्यवस्था दी गई है :—

> "Rajasthan Sales Tax Act, 1994 - Remand order - While allowing the appeals, the Rajasthan Tax Board held that :- "It is clear that the Assessing Authority has not followed the directions of the D.C. Appeals dated 13.08.1999 as available evidence and witness have not been examined properly. As to who were partners during the relevant period has not been enquired fully. Under such circumstances it was desired from the DC Appeals that instead of remanding the case, it would have been better to set aside the order of AA. From all these facts it is clear that order dated 02.06.2004 gives second chance to AA which is not proper.

बहस के दौरान प्रकरण के संबंध में **राज्य बनाम निरंजन कुमार वगैरह, प्रकरण संख्या 424 सन् 2003 नियमित आपराधिक एफ.आई.आर. संख्या 37/2004 पुलिस थाना कुवांरिया सी.आई.एस. नं. 1741/2014** में न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजसमन्द जिला राजसमन्द के आदेश दिनांक 17.12.2015 की प्रति प्रस्तुत की, जिसका अन्तिम पैरा निम्न प्रकार है :—

लगातार.....3

"फलतः अभियुक्तगण निरंजन कुमार पिता तेजसिंह, उम्र—50 वर्ष, निवासी—जल चक्की कांकरोली, थाना राजनगर हाल उदयपुर, पुलिस थाना सुखेर, उदयपुर, रमेश दत्त शर्मा पिता विष्णुदत्त शर्मा, उम्र—48 वर्ष, निवासी नौकरी वाणिज्यिक कर विभाग नाका मादड़ी चौराहा, सांपारूदा थाना नसीराबाद जिला अजमेर, पंच रतन कॉम्प्लेक्स, भीलवाड़ा रोड़ कांकरोली, हाल उदयपुर, पुलिस थाना उदयपुर को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 420, 467, 468 व 120बी भारतीय दण्ड संहिता व अभियुक्त अवध बिहारी उर्फ पारस भाणादत्त जैन पिता मनोहरलाल भाणावत जैन, उम्र—59 वर्ष, निवासी—19 घाणेराव की घाटी, घण्टाघर उदयपुर, जिला उदयपुर को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 420, 467, 468 व 120बी भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा अपनी नियमित उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते है।"

बहस के अन्त में विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

5. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण प्रथम बार अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 27.12.2005 को प्रतिप्रेषित किया गया, इसके पश्चात अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 09.10.2010 को दोबारा प्रतिप्रेषित किया गया। इसके पश्चात अपीलीय अधिकारी ने तीसरी बार दिनांक 23.10.2013 को वाद को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया। अपीलीय अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना प्रतिप्रेषित आदेश का निस्तारण करते समय कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं किया जाना पाया गया है। उपरोक्त वर्णित न्यायिक दृष्टान्त में माननीय खण्डपीठ द्वारा दिये गये निर्णय की पालना में यह निष्कर्षित किया जाता है कि कर निर्धारण अधिकारी को तीसरी बार प्रतिप्रेषित करना विधिसम्मत नहीं है।

7. उपरोक्त तथ्यात्मक एवं विधिक विश्लेषण के पश्चात् अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

13/10/2016

(मनोहर पुरी)
सदस्य